सं.45/3/2008-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 18 नवम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :सेवा काल में मृत्यु तथा अशक्तता से ग्रस्त होने के मामलों में विशेष लाभ-अशक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में, 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के आदेश, इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 के का.ज्ञा.सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू द्वारा जारी किए गए हैं । ये आदेश सी.सी.एस. (ई.ओ.पी.) नियमावली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन/कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर रहे, 2006 से पहले के पेंशनभोगियों के संबंध में भी लागू होते हैं ।

2. जो सरकारी सेवक 1.1.2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हुई, के संबंध में सी.सी.एस.(ई.ओ.पी.) नियमावली के अन्तर्गत अशक्तता पेंशन /कुटुम्ब पेंशन को, निम्नलिखित संशोधनों के साथ इस विभाग के दिनांक 3 फरवरी, 2000 के का.ज्ञा.सं. 45/22/97-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (सी) द्वारा यथा संशोधित सी.सी.एस. (ईओ.पी.) नियमावली के अनुसार, विनियमित किया जाना जारी रहेगा :-

दिनांक 3.2.2000 के का.ज्ञा. का पैरा 3.1 (i)(क)(क)-'ख' और 'ग' श्रेणियों के लिए कुटुम्ब पेंशन

(क) जहां दिवगत सरकारी सेवक पेंशन योग्य पद धारण किए हुए नहीं था:
मूल वेतन* <u>का 40% तथा न्यूनतम 4550/-रूपए</u>

(ख) जहां सरकारी सेवक पेशन योग्य पद धारण किए हुए था :
मूल वेतन* <u>का 60% तथा न्यूनतम 7000/-रूपए</u>

....2/-

* संशोधित वेतन ढाचा में उपर्युक्त संदर्भित मूल वेतन का अर्थ है निर्धारित वेतन बैंड और लागू ग्रेड वेतन को मिलाकर आहरित मूल वेतन

दिनांक 3.2.2000 के का.ज्ञा. का पैरा 3 II (2) -'घ' और 'ङ' श्रेणियों के अंतर्गत कुटुम्ब पेंशन

(2) यदि सरकारी सेवक की विधवा जीवित नहीं हो परन्तु उसका बच्चा/बच्चे ही जीवित हों तो सभी बच्चे मिलकर मूल वेतन के 60% की दर पर कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे, जो न्यूनतम 7000/-रूपए होगी ।

दिनांक 3.2.2000 के का.ज्ञा. का पैरा 3 III (2) – अशक्तता पेंशन -'ख' और 'ग' श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के लिए

(2) अशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए, मासिक अशक्तता पेंशन वर्तमान के अनुसार अनुपातिक रूप से निम्नतर होगी, बशर्ते कि जहां स्थायी अशक्तता 60% से कम नहीं है, तो कुल पेंशन अर्थात् साधारण पेंशन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य पेंशन या सेवा उपदान (ग्रेच्यूटी) और अशक्तता पेंशन को मिलाकर, जैसा कि उपर्युक्त (i) पर विनिर्दिष्ट है, मूल वेतन के 60% से कम नहीं होगी, तथा न्यूनतम 7000/- रूपए होगी ।

3. दिनांक 3 फरवरी, 2000 के का.ज्ञा.में अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेगी ।
4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के यू.ओ. सं. 42/30/2008-आई.सी. दिनांक 21 अक्तूबर, 2008 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है ।
5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए हैं ।

(एम.पी.सिंह)
निदेशक (पी.पी.)
दूरभाष : 24624802

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, मानक डाक सूची के अनुसार